

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी—

मुरारी लाल शर्मा

आर.ए.एस.

मिसल नम्बर

तारीख दायरा

तारीख निर्णय

110 / 2021 / प्रा.पत्र / 2021

28.12.2021

12.01.2022

मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

..... प्रार्थी

बनाम

1—श्री राकेश कुमार जैन पुत्र श्री बाबूलाल जैन विक्रेता मैसर्स तरुण ट्रेडिंग कम्पनी सरस्वती स्कूल के पास झिलाई रोड निवाई जिला टोंक राज0 निवासी घाटी वालो का मोहल्ला वार्ड नं0 23 निवाई जिला टोंक राज0

2—श्रीमति सुलोचना देवी पत्नि श्री राकेश कुमार जैन प्रोपरायटर मैसर्स तरुण ट्रेडिंग कम्पनी सरस्वती स्कूल के पास झिलाई रोड निवाई जिला टोंक राज0 निवासी घाटी वालो का मोहल्ला वार्ड नं0 23 निवाई जिला टोंक राज0

..... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित—

1—प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।

2—अप्रार्थी उपस्थित


—निर्णय—

दिनांक 12.01.2022

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 29.10.2021 को समय 12.41 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स तरुण ट्रेडिंग कम्पनी सरस्वती स्कूल के पास झिलाई रोड निवाई जिला टोंक राज0 पर पहुंचा। प्रोपरायटर की हैसियत से श्री राकेश कुमार जैन पुत्र श्री बाबूलाल जैन विक्रेता मैसर्स तरुण ट्रेडिंग कम्पनी सरस्वती स्कूल के पास झिलाई रोड निवाई जिला टोंक राज0 निवासी घाटी वालो का मोहल्ला वार्ड नं0 23 निवाई जिला टोंक राज0 खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया पूछने पर प्रतिष्ठान का विक्रेता होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र दिखाकर उक्त फर्म का प्रोपरायटर श्रीमति सुलोचना देवी को होना बताया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान मे तारामीरा तेल श्याम लाईट ब्राण्ड (Rape Seed Oil Shyam Lite Brand) रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. विक्रेता श्री राकेश कुमार जैन को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्य करने हेतु नोटिस देकर नोटिस प्राप्त की जिस पर विक्रेता राकेश कुमार जैन एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर नोटिस ने हस्ताक्षर किए तस्दीक किया।




अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक द्वारा दुकान में 455-455 ग्राम के 30 नग बोतल पैक के 5 कागज के कार्टून तारामीरा तेल श्याम लाईट ब्राण्ड (Rape Seed Oil Shyam Lite Brand) रखे हुये में से कागज के एक कार्टून का चयन कर,को खुलकर में से 455-455 ग्राम के 4 नग बोतल का चयन कर वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत विक्रेता. श्री राकेश कुमार जैन को रू0 320/-अक्षरे तीन सौ बीस रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा तारामीरा तेल श्याम लाईट ब्राण्ड (Rape Seed Oil Shyam Lite Brand) खरीदशुदा 455-455 ग्राम के 4 नग कुल मात्रा 1820 ग्राम को 455-455 ग्राम को बराबर-बराबर 1-1 नग (एक भाग 455 ग्राम) को ज्यो का त्यो खाकी कागज से लपेटकर नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार कर एवं चारो नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I-2957 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।


चारो नमूना भागो को अलग-अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I-2957 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता. राकेश कुमार जैन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2021/3295 दिनांक 25.11.2021 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/1604/एक्ट/2021/1512 दिनांक 18.11.2021 अनुसार राकेश कुमार जैन से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया तारामीरा तेल श्याम लाईट ब्राण्ड (Rape Seed Oil Shyam Lite Brand) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(1) (zf) (c) (i) के अनुसार मिथ्याछाप (Mis-branded) व अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा मिथ्याछाप (Mis-branded) व अवमानक (Sub-Standard) स्तर का तारामीरा तेल श्याम लाईट ब्राण्ड (Rape Seed Oil Shyam Lite Brand) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 52 में निर्धारित है।




अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस तारामीरा तेल श्याम लाईट ब्राण्ड (Rape Seed Oil Shyam Lite Brand) का विक्रय कर रहा था वह जांच में मिथ्याछाप (Mis-branded) व अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया तारामीरा तेल श्याम लाईट ब्राण्ड (Rape Seed Oil Shyam Lite Brand) का नमूना जांच में मिथ्याछाप (Mis-branded) व अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 52 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री राकेश कुमार जैन पुत्र श्री बाबूलाल जैन विक्रेता मैसर्स तरुण ट्रेडिंग कम्पनी सरस्वती स्कूल के पास झिलाई रोड निवाई जिला टोंक राज0 निवासी घाटी वालो का मोहल्ला वार्ड नं0 23 निवाई जिला टोंक राज0 पर शास्ति 20,000 (अक्षरे बीस हजार हजार रू0) अप्रार्थीया सुलोचना देवी पत्नि श्री राकेश कुमार जैन प्रोपरायटर मैसर्स तरुण ट्रेडिंग कम्पनी सरस्वती स्कूल के पास झिलाई रोड निवाई जिला टोंक राज0 निवासी घाटी वालो का मोहल्ला वार्ड नं0 23 निवाई जिला टोंक राज0 पर शास्ति 20,000 (अक्षरे बीस हजार हजार रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 12.01.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.01.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



12-1-22
(मुरारी लाल शर्मा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक-राज0